10वीं कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चे की बल्ले से मारकर हत्या

तारानगर, (निसं)। तारानगर क्षेत्र के गांव सात्यूं में मंगलवार रात गिंदड़ देखकर घर लौट रहे 16 वर्षीय प्रदीप धाणक की आंख में मिर्च डालकर बेट से सिर पर हमला कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर डीएसपी ओमप्रकाश गोदारा व थानाधिकरी गोविन्दराम बिश्नोई ने मौके पर पहुंचकर शव को तारानगर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

डीएसपी गोदारा ने बताया कि सात्यूं निवासी संदीप धाणक ने रिपोर्ट दी कि मंगलवार रात करीब साढ़े दस बजे अपने भाई प्रदीप, मुकेश व रानिवास के साथ गिंदड़ देखकर दूसरी गिंदड़ देखने जा रहे थे। तभी रास्ते में पवन, धर्मेन्द्र व रमेश पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। तभी अचानक धर्मेन्द्र ने हमारी आंख में मिर्ची पाउडर फेंका, रमेश ने प्रदीप को पकड़ लिया और पवन ने बेट से प्रदीप के सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। बीच बचाव करने पर आरोपियों ने हमारे साथ भी थापा मुक्कों से मारपीट की। संदीप ने बताया कि हत्या का मुख्य आरोपी पवन कुमार गोस्वामी करीब डेढ माह पहले हमारे परिवार में रात के समय बदनियती से घुस गया था। जिसे परिवार के लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई की थी। इसके बाद ही आरोपी प्रदीप धाणक से रंजिश रखने लगा था। पवन ने उसी समय प्रदीप को धमकी दी थी कि तुझे इस बार होली नहीं धोकने दूंगा। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

तारानगर क्षेत्र के गांव सात्यूं में नाबालिग की हत्या के बाद मोर्चरी के आगे ग्रामीणों की भीड़ लग गई।

■ गांव सात्यूं में मंगलवार रात गींदड़ देखकर घर लौट रहा था प्रदीप

डीएसपी ओमप्रकाश गोदारा ने बताया हत्या की सूचना मिलने के बाद प्रकरण में नामजद आरोपी धर्मेन्द्र गोस्वामी को राउंडअप कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। सात्यूं निवासी मृतक प्रदीप धाणक गांव में स्थित स्कूल की कक्षा 10 में पढ़ता था। उसके पिता धर्मपाल विदेश रहते है। प्रदीप के एक बहन व एक भाई है। दूसरी ओर आरोपी पवन कुमार आवारा प्रवृति का युवक है।

21 दिवसीय श्याम पाठ सम्पन्न हुआ

चूरू, (का. सं.)। सुभाष चौक स्थित वार्ड 56 के सांवरिया सदन में श्रीश्याम अखंड ज्योत सेवा समिति की ओर से फाल्गुन माह में पिछले 21 दिनों से चल रहे श्याम पाठ का समापन पवन जालान के नेतृत्व में बाबा श्याम की अखंड ज्योत प्रज्वलन के साथ किया गया।

इस अवसर पर समिति के सभी सदस्यों ने बाबा की ज्योत प्रज्वलित कर एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया।

इस अवसर पर बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार किया गया। कृष्णा राघव की जोड़ी ने अपनी मधुर वाणी से बाबा श्याम को भजनों के माध्यम से खूब रिझाया। इस अवसर पर कीर्तन की है रात बाबा आज थानै आणो है, आवो नी पधारो बाबा श्याम महारै आंगणै सहित एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियों से वातावरण को धार्मिक बना दिया। गणेश वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने चार चांद लगा दिये। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्री श्याम सेवा समिति के सदस्यों सहित अनेक महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे।

कार्यालय नगरपालिका मण्डल रावतसर जिला हनुमानगढ (राज.)
Fax:-01537-250043, Email.nagarpalikarawatsar@gmail.com, phone no-01537-250043
क्रमांक :- न.पा.रा./भूमि शाखा/2022/4203 दिनांक :- 16.03.2022

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री बद्री प्रसाद सुथार पुत्र श्री नोरंग राम जाति सुथार निवासी वार्ड नं. 15 रावतसर जिला हनुमानगढ़ ने प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज की फोटोप्रति प्रस्तुत कर अपने वार्ड नं. 15 रावतसर में स्थित आवासीय भूखण्ड से चिपती भूमि साईज 83.40 वर्ग फुट खांचा भूमि चाही है। जिसका मूल पट्टा नगरपालिका द्वारा दिनांक 07.05.2013 को श्री बद्री प्रसाद सुथार पुत्र श्री नोरंग राम जाति सुथार निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ के नाम से साईज 300 वर्गगज का जारीशुदा है। जिसकी पश्चिम दिशा में साईज 83.40 वर्गफुट खांचा भूमि चाही है।

अतः उक्त आवासीय भूखण्ड से चिपती खांचा भूमि में आवंटन करने में अगर किसी को कोई आपत्ति हो, तो इस सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन होने के 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(प्रमोद कुमार)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, रावतसर

कार्यालय नगरपालिका मण्डल रावतसर जिला हनुमानगढ (राज.)
Fax:-01537-250043, Email.nagarpalikarawatsar@gmail.com, phone no-01537-250043
क्रमांक :- न.पा.रा./भूमि शाखा/2022/4200-4202 दिनांक :- 16.03.2022

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पूर्णचंद पुत्र श्री प्रसादीलाल मेघवाल निवासी वार्ड नं. 27 रावतसर जिला हनुमानगढ़ ने प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज की फोटोप्रति प्रस्तुत कर अपने पुराना वार्ड नं. 20 नया वार्ड नं. 27 में स्थित आवासीय भूखण्ड से चिपती भूमि साईज 319.48 वर्ग फुट खांचा भूमि चाही है। जिसका मूल पट्टा नगरपालिका द्वारा दिनांक 07.05.2013 को श्री पूर्णचन्द पुत्र श्री प्रसादीलाल मेघवाल निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ के नाम से साईज 300 वर्गगज का जारीशुदा है। जिसकी पूर्व दिशा में साईज 319.48 वर्गफुट खांचा भूमि चाही है।

अतः उक्त आवासीय भूखण्ड से चिपती खांचा भूमि में आवंटन करने में अगर किसी को कोई आपत्ति हो, तो इस सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन होने के 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(प्रमोद कुमार)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, रावतसर

स्वर्ण पदक जीतने पर रिंकू पूनिया को बधाई

सादुलपुर(निसं)। राजस्थान सीनियर एथेलेटिक्स पुरुष व महिला प्रतियोगिता 13 व 14 मार्च 2022 को श्रीगंगानगर में आयोजित किया गया। जिसमें जनाऊ खारी निवासी रिंकू पूनिया ने 10 हजार मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

स्वर्ण पदक जीतने पर रिंकू पूनिया को राजस्थान राज्य खेल परिषद अध्यक्ष एवं सादुलपुर विधायक डॉ. कृष्णा पूनियां ने बधाई देते हुए कहा कि उसकी दृढता और समर्पण प्रशंसनीय है। स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। संघ के उपाध्यक्ष लीलाधर शर्मा ने मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि जिस प्रकार खिलाड़ियों ने जिले का नाम रोशन किया हैं उसी प्रकार राजस्थान व देश का नाम रोशन करे। टीम मैनेजर सुरेश कुमार ने बताया कि शीघ्र ही आगामी प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला स्टेडियम चुरू में करवाया जायेगा।

पद से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, विचार और आचरण ही बड़े होते हैं : रेहाना

चूरू, (कासं)। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संघ के तत्वाधान में जिला शाखा चूरू द्वारा स्थानीय दादू भवन में स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षाविद् व समाजवादी नेता स्व. कुशलसिंह राठौड़ की दसवीं पुण्यतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज के सानिध्य में मनाई गई। समारोह में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि पद से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, विचार और आचरण ही बड़े होते हैं। कुशल सिंह राठौड़ के विचार और आचरण बड़े थे, जिन्होंने जन आन्दोलन के जरिये स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र एवं समाजवाद की मूल पहचान हेतु मूल्यों को जीया।

रेहाना रियाज ने उन्हें संघर्षशील, प्रखर पत्रकार एवं समान्नित शिक्षक एवं लोकतंत्र का योद्वा बताया एवं कहा कि राठौड सदेव सत्य एवं न्याय के पक्षकर रहे तथा जन आंदोलनों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जायेगा। नई पीढी को राठौड़ के जीवन से प्रेरणा लेकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने चूरू शहर में स्वर्गीय राठौड के नाम से सार्वजनिक पुस्तकालय बनाने एवं सार्वजनिक स्थान पर उनकी स्टेच्यू (मूर्ति) स्थापित करने की मांग की।

कार्यक्रम को भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सारस्वत, कांग्रेस नेता आशाराम सैनी, सामाजिक कार्यकर्ता सज्जन सिंह राठौड, पूर्व तहसीलदार सुरेन्द्र सिंह मेघसर, कर्मचारी नेता ठाकुरमल शर्मा, शिक्षाविद् सीताराम डाबी, अभिभाषक संघ के निवर्तमान अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा, वर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह शेखावत, पत्रकार राहुल शर्मा, पत्रकार देवराज लाटा, दूलीचन्द बरोड़, पत्रकार मधुसुदन शर्मा, पार्षद राजकुमार सारस्वत, पूर्व पार्षद ताराचन्द बांठिया, ब्लॉक पंचायत समिति सदस्य शंकर लाल नेहरा, सरपंच संदीप वर्मा, कांग्रेस नेता लीलाधर चुलेट, राधेश्याम चोटिया, डॉ. जमील चौहान, याकूब सिसोदिया एवं महेश बावलिया, हरिसिंह राठौड आदि ने संबोधित करते हुए राठौड के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला।

अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संघ के तत्वाधान में जिला शाखा चूरू द्वारा कुशलसिंह राठौड़ की दसवीं पुण्यतिथि मनाई।

आयोजन में मानवेन्द्रसिंह, विरेन्द्र सिंह, सत्येन्द्रसिंह, धीरेन्द्र सिंह, शकुन्तला शेखावत सहायक आयुक्त कर विभाग रतनगढ़, निखिल, जयवर्द्धन, उपेन्द्र (पौत्र), एडवोकेट दानाराम शर्मा, श्याम लाल सैनी, रतन सिंह बरोला, दीपक सारस्वत, मनोज गहलोत, आनन्द प्रजापत, नरेन्द्र भालेरी, पवन कुमार खेमका, राजीव बहड़, सर्वेश शर्मा, इस्हाक गौरी, निजामूद्दीन, उदयसिंह खारिया, रतन सिंह खारिया, हरिसिंह खारिया, सुरेन्द्र सिंह खारिया, जगमाल सिंह टकणेत, मुरारी लाल इन्दोरिया, हरि प्रसाद रक्षक, जाकिर हुसैन, महेश मिश्रा, पूर्व पार्षद अशोक पण्डित ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किये कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता सद्दाम हुसैन ने किया। अध्यक्षता शिक्षाविद् रामसिंह पूनिया ने की।

राजस्थान के अभ्यर्थियों को न्याय मिलें : सरोज झाझडिया

झुंझुनूं/मण्डावा, (निसं)। भाजपा नेता सरोज झाझडिया ने कहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2018 एनटीटी विज्ञप्ति में सिर्फ एनटीटी योग्यता मांगी गई थी, लेकिन उसको नजर अंदाज करते हुए 17 मार्च 2021 को प्रथम दस्तावेज सूची में गीता बजाज कॉलेज के 53 अभ्यर्थी समकक्ष योग्यताधारी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर नौकरी दे दी गई और इसी गलती को द्वितीय दस्तावेज जांच सूची में फिर से दोहराते हुए काफी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी।

इस प्रकार गीता बजाज कॉलेज के अपात्र चयनित अभ्यर्थियों का हवाला देकर आधार मानते हुए बाहरी राज्यों के समकक्ष कोर्स को अभ्यर्थियों पीपीटीसी एवं डीपीएससी व अन्य को भी शामिल करने का आदेश सिंगल बैंच ने दिया जिससे राजस्थान के योग्य अभ्यर्थी इस भर्ती की से बाहर हो गए एनटीटी भर्ती 1350 पदों पर हुई थी पहली व दूसरी सूची में 839 अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गई है। सरोज झाझडिया ने कहा कि इसके समाधान के लिए कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डिबी में याचिका लगाये जिससे राजस्थान के बेरोजगार योग्य एनटीटी का चयन हो सके व राजस्थान के अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकें।

सरोज झाझडिया

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर) जिला हनुमानगढ़
क्रमांक :- न.पा.रा./कृ.भू./2022/4179-4181 दिनांक 16.03.2022

प्रारूप-10
(नियम 6(7) देखिए)

-: लोक सूचना :-

श्री नितेश पुत्र धर्मेन्द्र जाति मोची निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला हनुमागनढ़ तहसील हनुमानगढ़	21,22 डीडब्ल्यूडी	157 419 (44)	किला संख्या 10/2 की 0.0130 है. में से 0.011 है., 11/1 की 0.228 है. में से 0.194 है., 12 की 0.2530 है., 13/3 की 0.0680 है., कुल तादादी 0.5260 है. है।

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूवीक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी
(अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर)

गींदड़ नृत्य आयोजन शुरू

बीदासर, (निसं)। नगर पालिका एवं गींदड़ आयोजन समिति के तत्वाधान मे मंगलवार की रात्रि मे कस्बे के गांधी चौक व दड़ीबा के करणी माता मंदिर स्थित गींदड़ चौक में होली के पर्व पर तीन दिवसीय गींदड़ नृत्य शुरू हुआ।

NAME CHANGE

I, Surendar kumar S/o Ramkumar Resident ward no.4 Teh., Distt. Jhunjhunu (Raj). In my Passport No.E2283606 in my name is wrongly recorded as "SURENDER" my correct name is "SURENDRA KUMAR" so enter it.

नाम परिवर्तन

मै इस्लाम अली मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरे पुत्र का नाम आदिल खान जन्म दिनांक भूलवश 21.6.2007 लिखी गई थी, जिसको दिनांक 25.5.2007 करवाया गया है, जो सही और सत्य है। आगे भविष्य में मेरे पुत्र आदिल खान की जन्म दिनांक 25.5.2007 ही पढ़ा और लिखा जावे। मेरे आर्मी नंबर जेसी 45 30 74 के एस यू बी सूबेदार इस्लाम अली ग्राम हमीरवास पोस्ट बीरमी जिला झुंझुनू राजस्थान।

श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चूरू
दिवानी विविध प्रार्थना पत्र उत्तराधिकार
सं. 36/21
प्रार्थीगण-**मीनाक्षी व अन्य**
बनाम
अप्रार्थीगण- **सर्वसाधारण व अन्य**
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु
नोटिस बाबत सर्वसाधारण

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण मीनाक्षी पत्नी स्व. श्री संजय कुमार जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 3 हास्पीटल कैम्पस रतनगढ़ चूरू हाल पवनपुरी बीकानेर व उसके पुत्र किनष्क शर्मा तथा प्रवण शर्मा के एक प्रार्थना पत्र पेश कर अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र इस आश्य का प्रदान किये जाने की राहत चाही की प्रार्थीगण के क्रमश मिनाक्षी ससुर व कनिष्क शर्मा व प्रवण शर्मा के दादा डॉ. गणेशमल तथा सास व दादी गोमती देवी के नाम से एक लॉकर संख्या 742 जो स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मैन मार्केट सरदारशहर में है को तोडा जाकर उसके संचालन करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रार्थीगण मीनाक्षी व उसके पुत्रगण कनिष्क शर्मा व प्रवण शर्मा के पक्ष में जारी किया जावे।

अतः लॉकर संख्या 742 जो स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मैन मार्केट सरदारशहर में स्थित के संबंध में मीनाक्षी व उसके पुत्रगण कनिष्क व प्रवण शर्मा को तोड़कर संचालन करने के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने में हर आम व खास को कोई आपत्ति हो, तो इस न्यायालय में 31.3.2022 का उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 03.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

आज्ञा से
वरिष्ठ मुन्सरीम
जिला एवं सेशन न्यायालय चूरू

रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन

पाटन, (नि.स) राजकीय महाविद्यालय पाटन के प्राचार्य डॉ सुरेंद्र सिंह यादव के सानिध्य में बुधवार को रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रभारी अधिकारी डॉ मदन लाल मीणा ने बताया कि निर्णायक की भूमिका में डॉक्टर हंसा यादव, शबनम, डॉ. ओमपाल कालावत, महिपाल ढिलाण, अशोक कुमार, करण सैनी रहे। डॉ. यादव ने बताया कि रंगोली प्रतियोगिता में 4 सदस्यों ने भाग लिया जिसमें प्रथम पुरस्कार सरिता स्वामी तथा द्वितीय स्थान ज्योत्सना सैनी व तृतीय स्थान पर रजनी सैनी रही। मेहंदी प्रतियोगिता में कुल 6 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

इन में प्रथम स्थान पर ज्योत्सना सैनी, द्वितीय स्थान पर सुशीला कुमावत एवं रजनी सैनी तथा तृतीय स्थान पर मासूम बानो रही। प्रतियोगिता का संचालन डॉ कलावत, डॉ. योगेश कुमार संभल ने किया और देवकी नंदन बंसल ने सहयोग प्रदान किया। प्राचार्य डॉ यादव ने सभी प्रतियोगियों को शुभकामनाएं दी। महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी को होली की शुभकामनाएं प्रेषित की तथा शांत एवं स्वच्छ धूंलडी मनाने का आव्हान किया।

बाजार में बेचे जा रहे हानिकारक कलर शरीर पर डालते हैं दुष्प्रभाव : डॉ. राहड

झुंझुनूं, (निसं)। होली का पर्व परवान पर है। शहर, बाजार की हर गली गुलाल से सजी हुई है। लेकिन आजकल होली खेलने के लिए बाजारों में बिकने वाले रंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। राजकीय बीडीके अस्पताल में सेवारत फिजशियन डॉ. कैलाश राहड का कहना है कि सिंथेटिक कलर में सस्ते एवं हानिकारक पदार्थ जैसे एसिड, क्षार, मिट्टी एवं ग्लास इत्यादि मिले होते हैं। यदि इन रंगों में तेल एवं पानी मिलाकर लगाया जाएं तो इसके दुष्प्रभाव और बढ जाते हैं। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह रंग बाजार में धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं और हम है कि इनके नुकसान के बारे में जानें बिना इसका उपयोग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी इसकी रोकथाम को लेकर कोई विशेष कदम नहीं उठा रहा हैं। सिंथेटिक, पेस्ट, सूखे पाउडर, वाटर कलर शरीर के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो रहें हैं।

डॉ. कैलाश राहड ने बताया कि सिंथेटिक कलर से शरीर पर कई दुष्प्रभाव पडते हैं। जैसे आंखों से कम दिखाई देना, जलन होना, कैंसर बनना, श्वांस की परेशानी, बालों का रूखापन, त्वचा पर जलन, हल्के घाव, खुजली होना इत्यादि नुकसान हो जाते हैं। जो पेस्ट सिल्वर, सफेद, काला चमकीलापन देते हैं। वे ज्यादा शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। यह कलर गुर्दे की बीमारी, अंधापन, त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। सूखे गुलाल में भारी धातु, एस्बेस्टस एवं सिनिका मिले होते हैं। यह भारी धातु शरीर के अंदर जाकर शरीर की सामान्य क्रिया, गुर्दे, लीवर को प्रभावित करते हैं। पानी का रंग जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह भी शरीर के हानिकारक साबित होता है। इसके संपर्क में आने पर गंभीर त्वचा एवं आंख की बीमारी हो जाती हैं।

सिथेंटिक कलर से होली ना खेलें, फूलों से होली खेलें, होली खेलते समय त्वचा एवं बालों में तेल लगाए ,चेहरे, गर्दन एवं हाथों पर सनस्क्रीन क्रीम लगाएं, सिथेंटिक रंग उतारने के लिए हल्दी, दही एवं बेसन के पेस्ट का प्रयोग करें।

डॉ. कैलाश राहड, फिजिशियन राजकीय बीडीके अस्पताल, झुंझुनूं का कहना है कि होली में सिंथेटिक कलर का प्रयोग करने से बचें। यह शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है जो गंभीर रूप धारण कर सकते हैं।

डॉ. कैलाश राहड, फिजिशियन राजकीय बीडीके अस्पताल

'बेटियां देश का भविष्य है'

■ राजकीय बालिका स्कूल में हुआ वार्षिक उत्सव का आयोजन

खेतडी, (निसं)। राजकीय बालिका स्कूल में बुधवार को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉ. जितेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि न.पा. चेयरमैन गीता देवी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोकुलचंद सैनी, पार्षद लीलाधर सैनी थे, जबकि अध्यक्षता प्रधाना अध्यापिका मंजू सैनी ने की।

विधायक डॉ. जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियां देश का भविष्य है, लेकिन उन्हें भी अपने माता पिता को हमेशा याद रखना चाहिए। उनकी तस्वीर हमेशा अपने पास रखनी चाहिए और उन्हें अपना आदर्श बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरू हमेशा अपने शिष्यों को आगे बढने के लिए महत्वपूर्ण रास्ता दिखाता हैं जिस पर चलकर भविष्य की नींव तैयार की जा सकती है। इसलिए हमेशा अपने गुरूजनों को भी सम्मान देना चाहिए। सर्वप्रथम अतिथियों ने विद्या की देवी मां सरस्वती के प्रतीक चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं विद्यालय परिवार की ओर से पूर्व में अध्ययन रही छात्राओं डॉक्टर ईशा, एडवोकेट सुनीता सहित अन्य छात्र-छात्राओं को माल्यार्पण व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह का भी सम्मान किया गया। इसके अलावा राजकीय जय सिंह स्कूल में भी वार्षिक उत्सव में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीसीएमओ डॉ. हरीश यादव, डॉ. प्रवीण कुमार शर्मा, परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर रमेश यादव, मुरलीधर लालपुरिया, डॉ. सोमदत्त भगत, साया चौहान, प्रीतकौर, प्रधानाचार्य जिले सिंह, शंकर बीलवा, ओमप्रकाश गुप्ता सहित अन्य स्टॉफ मौजूद रहा।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा व एएनएम सम्मानित

सादुलपुर, (निसं)। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से राष्ट्रीय वैक्सीनेशन दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

सम्मान समारोह में 27 फरवरी को आयोजित हुए राष्ट्रीय पल्स पोलिया टीकाकरण दिवस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आशा सहयोगिनी व एएनएम को सम्मानित किया गया। सीएमएचओ डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय वैक्सीनेशन दिवस के तहत ब्लॉक स्तर पर समारोह का आयोजन हुआ। 27 फरवरी को आयोजित हुए राष्ट्रीय पल्स पोलिया दिवस के बूथ कवरेज रिपोर्ट के आधार पर संबंधित ब्लॉक में उत्कृष्ट कार्य करने वाली दो आशा सहयोगिनियों और एक एएनएम को सम्मानित किया गया। आशा सहयोगिनी व एएनएम को ब्लाक स्तर पर सम्मान समारोह में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

कार्यालय ग्राम पंचायत बुधवाली, पंचायत समिति रतनगढ़
क्रमांकः-निर्माण/ई-निविदा/2022-23/154-159 दिनांकः-15.03.2022

ऑन लाईन ई-निविदा सूचना 02/2022-23

इस ग्राम पंचायत को वर्ष 2022-23 के लिये ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं व महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिये निर्माण सामग्री क्रय हेतु इच्छुक विनिर्दिष्टित पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक जो कि वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) आयकर (पैन नम्बर) एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनर शिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1950 के अन्तर्गत पंजीकृत है, से निर्धारित प्रत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से वेबसाईट www.eporc.rajasthan.gov.in पर निम्नानुसार ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य/ सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत प्रति ग्राम पंचायत	धरोहर राशि प्रति ग्राम पंचायत	निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क प्रति ग्राम पंचायत	ऑनलाईन विक्रय/ डाउनलोड /अपलोड करने की तिथि व समय	प्रोसेसिंग शुल्क निविदा शुल्क व धरोहर राशि जमा कराने की तिथि व समय	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं व महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रा.पं. में सम्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु बी.एस.आर. 2022-23 की दर के अनुसार निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु ई-निविदा दरें आमंत्रित	50.00 लाख	2 प्रतिशत राशि	500+500	17.03.2022 सुबह 9 बजे से 26.03. 2022 को सांय 4 बजे तक	28.03.2022 दोपहर 1.00 बजे तक	29.03. 2022 को दोपहर 2.00 बजे एवं इसके बाद

निविदा से सम्बन्धित ग्राम पांचयत अनुमानित लागत अन्य विवरण तथा समस्त निविदा शर्तें www.eproc.rajasthan.gov.in पर व www.sppp.rajasthan.nic.in पर देखी एवं डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।
UBN NUMBER- ZCR2122GLRC01309
NIB NUMBER - ZCR2122A0670

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बुधवाली

गुलाब, सरपंच
ग्राम पंचायत बुधवाली

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
IDFC FIRST Bank
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जान जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहितओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जान जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	22857901	सम्पत्ति पर ऋण	1. शाहरूख खान 2. खुर्शीद अहमद 3. सैयदा खुर्शीद अहमद	05.03.2022	3,10,402.92/-	पट्टा नं. 234, वार्ड नं. 19, ग्राम मंडावा, झुंझुनू, राजस्थान-333704 का पूरा व प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल-1188 वर्गफिट, और सीमायें है-पूर्व-रास्ता, पश्चिम- असगर अली का मकान, उत्तर-हाजी सलीम का मकान, दक्षिण-आम रास्ता
2	34876634	सम्पत्ति पर ऋण	1. तुलसी राम 2. निर्मला देवी	05.03.2022	5,49,665.00/-	भूमि पट्टा नं. 051 (खसरा नं. 438 का भाग) क्षेत्रफल 141.48 वर्गगज, ग्राम किशनपुरा, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू, (राज.) राजस्थान का पूरा व प्रत्येक भाग और सीमायें है-पूर्व-सायर सिंह की खाली भूमि, पश्चिम-टेकचन्द का मकान, उत्तर-आम रास्ता, दक्षिण-दशरथ सिंह की खाली भूमि

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत हुआ हो वर्तमान में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत हुआ हो वर्तमान में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-
दिनांक- 17.03.2022
स्थान- झुंझुनूं
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

कार्यालय ग्राम पंचायत समिति सिंघाना जिला झुंझुनूं
क्रमांकः-पंस./लेखा/2021-22/7176 दिनांक 14.03.2022

ई-निविदा सूचना 05/21-22

पंचायत समिति सिंघाना की अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में स्थित राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्रों/परिसम्पतियों की सुरक्षा सेवा प्रदाता एजेन्सी से जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर सुरक्षा कार्य तथा मैन विद मशीन (कम्पयूटर ऑपरेटर) तथा सहायक कर्मचारी सेवाओं के उपापन के लिये ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा दिनांक 24.03.2022 को सांय 6.00 बजे तक दर आमंत्रित की जाती है।

निविदाओं का विस्तृत विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

NIB Code. ZJU2122A0198
UBN- ZJU2122SLOB00646

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, सिंघाना